रजिस्टर्ड/सील्ड

उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2

संख्या-94/2022/1299/22-2-2022-17(170)/2004

लखनऊ:दिनांक: 28 जून, 2022

आदेश

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय केन्द्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी लाल सिंह (बन्दी संख्या-2885/2001) पुत्र श्री सरजू सिंह, जो भदवां, थाना-मलवां, जिला-फतेहपुर का रहने वाला है, जिन्हें एस0टी0न0 176/1982 धारा 148 302/149 आई0पी0सी0 के अन्तर्गत मा0 सत्र न्यायाधीश, फतेहपुर के आदेश दिनांक 28.11.1997 द्वारा मृत्युदण्ड से दण्डित किया गया, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 15.12.1998 द्वारा मृत्युदण्ड की सजा को लघुकृत करते हुए आजीवन कारावास में परिवर्तित किया गया, मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 28.07.2004 द्वारा आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया, उक्त बन्दी द्वारा दिनांक 07.03.2022 तक 23 वर्ष 10 माह 06 दिन की अपरिहार सजा तथा 29 वर्ष 08 माह 04 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है, की 94 वर्ष से अधिक आयु, काटी गयी सजा, संतोषजनक जेल आचरण के दृष्टिगत शेष सजा का परिहार करते हैं तथा यह आदेश देते हैं कि यदि उक्त बन्दी को किसी अन्य वाद में निरूद्ध रखा जाना वांछित न हो तो उसे अपनी शेष दण्डावधि में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए जिला मजिस्ट्रेट, फतेहपुर के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक जाती मुचलका प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-94/2022/1299(1)/22-2-2022 तद्दिनांक....

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0।
2- जिला मजिस्ट्रेट, फतेहपुर।
3- पुलिस अधीक्षक, फतेहपुर।
4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज।
5- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
6- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in